

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राहुल कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23997

11 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मृतक कर्मचारी की पत्नी के सरकारी सेवा में कार्यरत रहने की स्थिति में याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है?

हेडनोट्स

संवेदनशील नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि यह नियुक्ति मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप उसके परिवार को तात्कालिक राहत प्रदान करने से संबंधित है। (पैरा 9)

जिस दिन याचिकाकर्ता के पिता का निधन हुआ, उस दिन परिवार को कोई तात्कालिक आर्थिक संकट नहीं था, क्योंकि पत्नी (याचिकाकर्ता की माता) नौकरी में थीं और अगले छह वर्षों तक सेवा में बनी रहीं। (पैरा 5)

याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 11)

न्याय दृष्टान्त

निर्दिष्ट नहीं

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति; सरकारी कर्मचारी; आर्थिक संकट; पात्रता मापदंड; अधिसूचना संख्या 13293/2019; सेवा में मृत्यु; आश्रित नियुक्ति; सेवा लाभ

प्रकरण से उत्पन्न

एक सरकारी कर्मचारी (आई.टी.आई., शेखपुरा में अनुदेशक) की 2013 में मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु दायर याचिका।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री चितरंजन सिन्हा ((पीएएजी-2)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23997

=====

राहुल कुमार, पिता- स्वर्गीय अनिल चौधरी निवासी-ग्राम- अलीगंज, डाकघर- अलीगंज, थाना- चंद्रदीप, जिला- जमुई

...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा
3. उप-समाहर्ता (स्थापना), शेखपुरा
4. प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई), शेखपुरा

...उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री चितरंजन सिन्हा ((पीएएजी-2)

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय
मौखिक निर्णय

दिनांक : 11-09-2023

याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों हेतु इस न्यायालय का

रुख किया है:

“याचिकाकर्ता संबंधित प्रतिवादी, विशेष रूप से प्रतिवादी

संख्या 2 को आदेश देने और निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने

का अनुरोध करता है कि वह याचिकाकर्ता के किसी उपयुक्त पद पर

नियुक्ति के दावे पर निर्णय ले, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु

01.11.2013 को आईटीआई शेखपुरा में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए हो गई थी और याचिकाकर्ता के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उन्होंने वर्ष 2014 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक जिला अनुकंपा समिति, शेखपुरा द्वारा याचिकाकर्ता के दावे पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे परिवार में आर्थिक तंगी हो रही है।

3. अभिलेख पर स्वीकार किए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

4. पिता की मृत्यु 01.11.2013 को आईटीआई शेखपुरा में प्रशिक्षक के रूप में हुई थी, उसी दिन उनकी पत्नी मंजू कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर, जो एक सरकारी विद्यालय है, में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। वे 11.05.2019 को सेवानिवृत्त हुईं।

5. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस दिन याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हुई, उस दिन परिवार को किसी भी प्रकार के तत्काल आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी पत्नी नौकरी में थी और अगले छह वर्षों तक नौकरी में रही, तथा वर्ष 2019 में ही सेवानिवृत्त हुई थी।

6. अधिसूचना संख्या 13293 दिनांक 05.10.2019 के अनुसार यदि माता-पिता दोनों सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु की तिथि पर, दूसरा पति/पत्नी सेवा में है, तो कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय को पत्र संख्या 13573 दिनांक 18.11.2021 (जवाबी हलफनामा के उत्तर के अनुलग्नक 6) के संदर्भ में यह दिखाने के लिए कहा है कि यदि वे दोनों सेवा में हैं और पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु की तिथि पर, यदि दूसरा सेवानिवृत्त है, तो अनुकंपा के आधार पर मामले पर विचार किया जा सकता है।

8. इस न्यायालय ने पहले ही उपरोक्त तथ्यों को शामिल कर लिया है जिसके अनुसार जिस दिन याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हुई, उस दिन उनकी पत्नी सेवा में थी और अगले छह वर्षों तक सेवा में रही।

9. इसके अलावा, इसी परिपत्र में यह भी शामिल किया गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों सेवारत हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा अभी भी सेवारत है, तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के कई निर्णयों/आदेशों में यह कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है और यह मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप उसके परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने से संबंधित है।

10. हालाँकि, इस मामले में, चूंकि स्वीकृत तथ्य यह है कि जब पिता की मृत्यु हो गई, तब याचिकाकर्ता की माँ सेवा में थी, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

11. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

ज्योति/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।